CNR NO. **UPGZ**01-010813-2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1-वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2-प्रतिवादीगण संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

08-05-2023

पत्रावली में संशोधन प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. कागज संख्या 49 ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 49 ग

वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. कागज संख्या 49 ग मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा मानवीय भूल के कारण पैरा 5 में कुछ शब्द व लाईनें न लिखा जाना बताया व इसी प्रार्थना पत्र के अंतर्गत उन द्वारा प्रस्तावित संशोधन भी बताया गया। जिसमें "कु० अबिका सिंह का जन्म भी वादिनी/याचनी की मौजदूगी में दिनांक 03.05.2016 को हुआ था साथ ही वादिनी/याचनी का विवाह भी दिनांक 16.11.2016 को सम्पन्न हुआ था तथा उक्त विवाह का पंजीकरण दिनांक 16.11.2017 को विवाह पंजीकरण अधिकारी चतुर्थ गाजियाबाद के यहाँ हुआ। वादिनी/याचनी के पुत्र मंयक रोहन का जन्म भी वादनी / याचनी की सगी बहन स्व० अम्बालिका सिंह के निवास स्थान पर ही हुआ था, जिस कारण कु० अबिका सिंह व वादनी/ याचनी के मध्य प्रेम व्यवहार, लगाव व मातृत्व का संबंध पूर्व से ही बना हुआ है।"

जिस पर विपक्षी अधिक्ता द्वारा आपत्ति की गयी कि यह केवल मानवीय भूल का मसला नहीं है, इससे वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जायेगी व विचारण के समय संशोधन नहीं हो सकता एवं डब्लू. एस. पर भी प्रभाव पड़ेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि:-

1. वाद दिनांक 01.07.2022 में दाखिल किया गया, जिस पर विपक्षी संख्या 8 द्वारा आपत्ति दिनांकित 27.02.2023 दी गयी, इसमें जवाबकर्त्ता संख्या 8 द्वारा धारा 5 के कथनों को वादिनी द्वारा स्वसिद्ध किये जाने का कथन किया।

2. प्रार्थनापत्र कागज संख्या 49 ग दिनांक 28.04.2023 में दिया गया।

3. इस पत्रावली में आज तक वाद बिन्दु का निर्धारण नहीं हुआ है।

4. आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के अनुसार संशोधन का प्रार्थनापत्र वाद बिन्दु तय होने से पहले दिया जा सकता है।

5. इस पत्रावली में संशोधन प्रार्थनापत्र वाद बिन्दु तय होने से पूर्व का है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के संबंध में कई निर्णयज आदेशों के तहत जिसमें कि प्रमुख **North Eastern Railway Vs. Bhagwan Das निर्णीत दिनांकित 11.04.2018 (2008) 8 SCC 511** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Insofar as the principles which govern the question of granting or disallowing amendments under Order 6 Rule 17 C.P.C. (as it stood at the relevant time) are concerned, these are also well settled. Order 6 Rule 17 C.P.C. postulates amendment of pleadings at any stage of the proceedings. In Pirgonda Hongonda Patil Vs. Kalgonda Shidgonda Patil & Ors. which still holds the field, it was held that all amendments ought to be allowed which satisfy the two conditions:
(a) of not working injustice to the other side, and
(b) of being necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties. Amendments should be refused only where the other party cannot be placed in the same position as if the pleading had been originally correct, but the amendment would cause him an injury which could not be compensated in costs."

उक्त विधि व्यवस्था में वर्णित दिशानिर्देश जो संशोधन वास्तविक वाद बिन्दू न्यायालय के समक्ष लाता है, जिसके अनुसार मुख्यताः यदि संशोधन प्रार्थना पत्र न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए नहीं है व विपक्षी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो बिना हर्जे के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि विपक्षी को नुकसान हो रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से हो सकती है तो उस अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस पत्रावली में विपक्षी संख्या 8 द्वारा पैरा संख्या 5 के तथ्यों को अस्वीकार किया व उन्हें सिद्ध करने का भार वादिनी पर नहीं है व प्रस्तावित संधोधन मात्र पूर्व में वर्णित तथ्यों को और विस्तार पूर्वक लिखा जाना है। नये तथ्य वाद की प्रकृित में कोई बदलाब नहीं लाते हैं व विपक्षी को इससे कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता है व संशोधन के बाद भी व तथ्यों को साबित करने का भार वादिनी पर ही है। प्रार्थिनी के कथन को सही तरीके से जाहिर करता है, वाद की प्रकृति में बदलाव नहीं हो रहा है व सही वाद बिन्दु को स्पष्ट तौर पर दर्शाने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय के मत में यह संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1- वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. कागज संख्या 49 ग स्वीकार किया जाता है।

2- विपक्षी को प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में कोई नया लिखित कथन देना है तो उसके लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

3- वांछित संशोधन अन्दर सात दिन किया जाये।

4- पत्रावली वास्ते लिखित कथन यदि विपक्षी पेश करना चाहें तो एक सप्ताह के अन्दर पेश करना सुनिश्चित करें।

5- प्रार्थनापत्र कागज संख्या 51 ग का निस्तारण डब्लू.एस. दाखिल करने के पश्चात किया जायेगा।

6- पत्रावली दिनांक 17.05.2023 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।